न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2013 (उदयपुर आर्डर)

1. मुबारिक हुसैन पिता हसन खां, निवासी बापू बस्ती, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. नजमा बेगम पत्नी स्वर्गीय बाबू खां, निवासी बापू बस्ती, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रईसा पत्नी मुंशी खां, निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मांगु खां पिता रहीम बक्ष, निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. आजाद हुसैन पिता हसन खां, निवासी नई आबादी, साकरिया, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. इकबाल हुसैन पिता हसन खां, निवासी नई आबादी, साकरिया, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. खातुन पुत्री हसन खां पत्नी पीरू खां, निवासी कपासन दरगाह के पीछे, कच्ची बस्ती, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (मृतक) के बजाय :–

5/1.जाकिर हुसैन पुत्र पीरू खां, जाति मुसलमान, निवासी कपासन दरगाह के पीछे, कच्ची बस्ती, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

5/2.शकील हुसैन पुत्र पोरू खां, जाति मुसलमान, निवासी कपासन दरगाह के पीछे, कच्ची बस्ती, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

5/3.रईस हुसैन पुत्र पीरू खां, जाति मुसलमान, निवासी कपासन दरगाह के पीछे, कच्ची बस्ती, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

5/4.तौफिक हुसैन पुत्र पीरू खां, जाति मुसलमान, निवासी कपासन दरगाह के पीछे, कच्ची बस्ती, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

5/5.श्रीमती सोनु बेगम पुत्री पीरू खां, जाति मुसलमान, निवासी कपासन दरगाह के पीछे, कच्ची बस्ती, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

5/6.पीरू खा (पति खातून बेगम का), जाति मुसलमान, निवासी कपासन दरगाह के पीछे, कच्ची बस्ती, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

6. सैनाज पुत्री हसन खां पत्नी अय्यूब हुसैन, जाति मुसलमान, निवासी पातेला मोहल्ला, सेन्टपाल स्कूल के पास, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

7. श्रीमती जैतुन बी पत्नी हसन खां, निवासी बापू बस्ती, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

8. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, सनवाड़, जिला उदयपुर (राज.)

9. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 09.01.2013 प्र.सं. 128/12

———/———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रे. सं. 1 व 2

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. 8, 9, 10

———::———

निर्णय दिनांक

11—06—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सनवाड में आराजी नंबर 3094 रकबा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें विपक्षी संख्या 1 का 1/2 व विपक्षी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष रहीम बक्ष के तीन पुत्र हुसन खां, मुन्शी खां व मांगु खां हुए। हसन खां का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिस प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3 से 7 हैं। मुन्शी खां का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिस उसकी पत्नी विपक्षी संख्या 1 व अन्य पुत्र हैं तथा मांगू खां विपक्षी संख्या 2 है। उक्त भूमि में हम प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार है, किन्तु प्रार्थीगण के दादा की मृत्यु के पश्चात विपक्षी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरकण संख्या 3713 दिनांक 17—12—2009 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया तथा प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं करवाया, जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का भी 1/3 हिस्सा है। विवादित भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतएवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा मौके पर रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि स्वर्गीय रहीम बक्ष को भूदान बोर्ड द्वारा आवंटित की गयी थी, जो उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति थी, जिसका बन्दोबस्त रहीम बक्ष जी ने अपने जीवनकाल में कर दिया था। उनके द्वारा की गयी लिखापढ़ी

अनुसार हसन खां उनकी व उनकी पत्नी की सेवा चाकरी नहीं करता था इसलिए उन्होंने उक्त भूमि अपने दो पुत्रों मुन्शी खां व मांगु खां के पक्ष में लिखापढ़ी कर दी। उक्त भूमि से प्रार्थीगण तथा विपक्षी संख्या 3 से 7 का कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी वह विपक्षी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतएवं प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 09–01–2013 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपोल दिनांक 28–02–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8, 9 व 10 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को खातेदार दर्ज होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इकारार बंटवाडे पर विश्वास कर जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्टगण ने वादग्रस्त भूमि रहीम बक्ष की होना प्रथम दृष्टया साबित करवाया है तथा रहोम बक्ष के कानूनी वारिस होना भी साबित करवाया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तथ्यों से परे जाकर निर्णय पारित किया है। अपने कथन के समर्थन में आर.आर. टी. 2002 (2) पेज 882, आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1101, आर.बी.जे. 2012 पेज 460, आर.बी.जे. 2010 पेज 646, आर.बी.जे. 2013 पेज 744 एवं आर.आर.टी. 2006 (1) पेज 45 की न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 में विवादित भूमि रहीमबक्ष के नाम दर्ज होकर है तथा विरासत व हकत्याग के नामान्तरकरण संख्या 3713 से उक्त भूमि रहीमबक्ष के बजाय रईसा पत्नी मुंशी खां 1/2 व मांगू खां पिता रहीमबक्ष 1/2 के नाम दर्ज हुई है तथा इसी के आधार पर जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में विवादित भूमि रईसा पत्नी मुंशी खां 1/2 व मांगू खां पिता रहीमबक्ष 1/2 के नाम दर्ज है। प्रस्तुत ईकरार बंटवाड़ा दिनांक 02–04–1990 जिस पर मौतबीरान के हस्ताक्षर हैं, उसके अनुसार रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 अर्थात रईसा व मांगू खां विवादित भूमि पर काबिज हैं। तद्नुसार जब प्रार्थीगण/अपीलान्टगण का विवादित भूमि पर कब्जा ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में बिना कब्जेयाबी का दावा लाये घोषणा का दावा नहीं लाया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इस संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2002 (2) पेज 882, आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1101, आर.बी.जे. 2012 पेज 460, आर.बी.जे. 2010 पेज 646, आर.बी. जे. 2013 पेज 744 एवं आर.आर.टी. 2006 (1) पेज 45 प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09–01–2013 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर